रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 18, 2000/पौष 28, 1921
No. 46] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2000/PAUSA 28, 1921

भारतीय रिजर्व बैंक
(विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग)
(केन्द्रीय कार्यालय)
अधिसूचना
मुंबई, 8 सितम्बर, 1999
सं. फेरा 209/99 आर बी

सा०का०नि० 52 (अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 9 की उप-धारा (1) के अनुसरण में और दिनांक 30 मार्च, 1999 की अपनी अधिसूचना सं. फेरा 200/99 आर बी (इसके पश्चात् "उक्त अधिसूचना" के रूप में उल्लिखित) में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिसूचना निम्नानुसार संशोधित की जाएगी, यथा;

उक्त अधिसूचना में, परंतुक "एफ" के बाद निम्नलिखित और एक परंतुक जोड़ा जाएगा, यथा;

(जी) ऐसे रुपया ऋण की स्वीकृति किसी अन्य संविधि अथवा उसके अंतर्गत जारी नियमों अथवा निदेशों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

[सं. 10/4/2000-एन आर आई]

खिज़र अहमद, कार्यपालक निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA
(Exchange Control Department)
(Central Office)
NOTIFICATION
Mumbai, the 8th September, 1999
No. FERA 209/99-RB

G.S.R. 52(E).—In pursuance of sub-section (1) of Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in partial modification of its Notification No. FERA 200/99-RB dated 30th March, 1999 (hereafter referred to as the "said Notification"), the Reserve Bank hereby directs that the said Notification shall be amended in the following manner, namely:

(1) In the said Notification, after proviso 'f' the following further proviso shall be inserted, namely,

(g) The acceptance of such a rupee loan is not prohibited by any other statute or the rules or directions issued thereunder

[No. 10/4/2000-NRI]

KHIZAR AHMED, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 18 अक्तूबर, 1999

सं. फेरा 212/99 आर बी

सा०का०नि० 53 (अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 9 की उप-धारा (1) के उपबंध (ए) के साथ पठित धारा 19 की उपधारा (1) के उपबंध (ए) तथा (डी) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उपबंध (23 डी) में यथा संदर्भित म्युच्अल फंड को

1(अ) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइएस) को अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अंतर्गत युनिटों अथवा उसी प्रकार के लिखतों को नीचे दी गई पैरा 2 के अधीन जारी करने

(आ) ऐसे युनिटों/लिखतों को भारत के बाहर उनके सार्वभौम अभिरक्षाकों को भेजने

(इ) नीचे दिये गये पैरा 3 के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशकों को जारी किये गये युनिटों अथवा अन्य लिखतो के पुर्नखरीद और उसके लिए भुगतान हेतु सहर्ष अनुमति प्रदान करता है।

2. युनिटों को जारी करने के लिए दी गई सामान्य अनुमति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है:

क) म्युच्युअल फंड भारतीय प्रतिभूति और विनियमय बोर्ड (सेबी) द्वारा निर्वारित शर्तो का अनुपालन करता है ,

ख) निवेश की द्योतक राशि बैंक द्वारा अनुमोदित विशेष अनिवासी रुपया खाता में अथवा नामोद्दिष्ट बैंक के साथ रखे विदेशी संस्थागत निवेशक के विशेष अनिवासी रुपया खाता में नामे डालकर प्राप्त किया है।

3. युनिटों के पुर्नखरीद के लिए इसमें दी गई सामान्य अनुमति इस शर्त पर दी गई है कि लाभांश / ब्याज और परिपक्व आगमों की द्योतक राशि विशेष अनिवासी रुपया खाता में जमा की जाती है।

स्पष्टीकरण :-

विदेशी संस्थागत निवेशक का अर्थ है भारत के बाहर स्थापित अथवा निगमित कंपनी और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत है जो सेबी (एफआइआइ) विनियमावली 1995 में यथा परिभाषित भारत में प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए प्रस्ताव करता है।

[सं. 10/4/2000-एन आर आई]

खिज़र अहमद, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 18th October, 1999

No. FERA 212/99-RB

G.S.R. 53(E).—In pursuance of clause (a) and clause (d) of sub-section (1) of Section 19 read with clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Reserve Bank is pleased to permit a Mutual Fund as referred to in Clause (23D) of Section 10 of Income-tax Act 1961.

1(a) to issue, units or similar instruments under Schemes approved by Securities and Exchange Board of India to Foreign Institutional Investors(FIIs) subject to para 2 below.

(b) to send such units / instruments out of India to their global custodians.

(c) to repurchase units or other instruments issued to FIIs and make payment therefor, subject to para 3 below.

2. The general permission granted herein to issue units is subject to the following conditions:-

(a) the Mutual Fund complies with terms and conditions stipulated by Securities and Exchange Board of India;

(b) The amount representing the investment is received by debit to the Special Non-Resident Rupee Account of the FII maintained with a designated bank, approved by the Bank.

3. The general permission granted herein to repurchase units is subject to the condition that the amount representing dividend / interest and maturity proceeds are credited to Special Non-Resident Rupee Account.

Explanation:-

Foreign Institutional Investor means an institution established or incorporated outside India and registered with SEBI which proposes to make investment in India in securities, as defined in SEBI(FII) Regulations 1995.

[No 10/4/2000-NRI]
KHIZAR AHMED, Executive Director

अधिसूचना

मुंबई, 1 नवम्बर, 1999

सं. फेरा 213/99 आर बी

अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश (एनसीडीएस)

सा०का०नि० 54 (अ).—विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 29 की उप-धारा (1) के खंड (बी) के साथ पठित धारा 19 की उप धारा (1) के खण्ड (डी) के खण्ड (ए) और अनुसरण में रिजर्व बैंक भारत में निगमित कंपनी को प्रत्यावर्तन लाभों के बिना अनिवासी भारतीय राष्ट्रिकों अथवा मूल के (अनिवासी भारतीयों) अथवा विदेशी कंपनी निकायों (ओसीबीएस) को अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की और इस प्रकार के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों को भारत के बाहर उनके निवास स्थान अथवा स्थान पर, जैसा भी मामला हो, भेजने की सहर्ष अनुमति प्रदान करता है।

2. **अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सामान्य अनुमति प्रदान की गई है।**

i) **अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों को प्रत्यावर्तन आधार पर जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए भुगतान विदेशी से सामान्य बैंकिंग तंत्रो के जरिए प्रेषण द्वारा अथवा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ रखे गये निवेश के अनिवासी विदेशी/विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में धारित निधियों के अंतरण द्वारा प्राप्त किया गया है / इसके अतिरिक्त जारी किये गये अपरिवर्तनीय का प्रत्यावर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक सिरीज के कुल प्रदत्त मूल्य तक अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों को जारी ऐसे अपरिवर्तनीय डिबंचरों का प्रतिशत जारी कर्ता कंपनी की पूंजी में प्रत्यावर्तन आधारपर अनिवासी भारतीयों/ विदेशी कंपनी निकायो द्वारा निवेश हेतु संबंधित योजनाओं अर्थात 24 प्रतिशत/51 प्रतिशत/ 100 प्रतिशत आदि के अधीन समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा विहित अनुसार ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के लिए प्रयोज्य सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

ii) **अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों को अप्रत्यावर्तनीय आधार पर जारी किये गये अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए भुगतान विदेश से सामान्य बैंकिंग तंत्रों के जरिए प्रेषण द्वारा अथवा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के साथ रखे गये निवेशक अनिवासी विदेशी/अनिवासी सामान्य/ अनिवासी बाहय/अनिवासी विशेष रुपया खाता में धारित निधियों के अंतरण द्वारा प्राप्त किया गया है । ऐसे मामले में निवेशित पूंजी की राशि को भारत के बाहर प्रत्यावर्तित करने के लिए अनुमति नहीं होगी । यदि अपरिवर्तनीय डिबेंचरों मे अनिवासी विशेष रुपया खाते में धारित निधियों में से किया गया है , तो ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर ब्याज भी भारत के बाहर प्रत्यावर्तनीय नहीं होगा।**

iii) **इस प्रकार के अपरिवर्तनीय डिबेंचरों पर ब्याज दर कंपनी के एजीएम द्वारा अनुमोदित निर्गम में संकल्प की तिथि को 300 आधार अंक धन भारतीय स्टेट बैंक की मूल उधार दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

iv) **ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के विमोचन हेतु न्युनतम अधिकतम अवधि 3 वर्ष होनी चाहिए।**

v) अपरिवर्तनीय डिबेंचरो के माध्यम से निधिया प्राप्त करनेवाली कंपनी को कृषि/बागान/स्थावर संपदा कारोबार/हस्तांतरणीय विकास अधिकारों में व्यापार (टीडीआरएस) गतिविधियों में लिप्त नहीं होना चाहिए अथवा निधि/चिट फंड कंपनी के रुप में कार्य करना नहीं चाहिए।

vi) निर्गम जारी करनेवाली कंपनी को रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय के पास निम्नलिखित से अन्तर्विष्ट एक रिपोर्ट प्रेषण की प्राप्ति तिथि से 30 दिनों के भीतर दाखिल करना चाहिए।

क) अनिवासी निवेशक का नाम
ख) निवासी अथवा अनिवासी निवेशक का निगमन देश
ग) प्रेषण की प्राप्ति तिथि और उसका रुपया समकक्ष
घ) भारत में प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त है।

vii) जारी कर्ता कंपनी अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के पास निम्नलिखित को दाखिल करें।

क) अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों के नाम और संस्था और उनके प्रत्येक को प्रत्यावर्तन/अप्रत्यावर्तन आधार पर जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरो के अंकित मूल्य से अन्तर्विष्ट एक सूची।
ख) कंपनी के निदेशक के बोर्ड बैठक में पारित संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें अनिवासी भारतीयों/विदेशी कंपनी निकायों और निवासियों को जारी की गयी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की मात्रा और मूल्य और अन्य ब्यौरे जैसे कूपन दर और विमोचन तिथि को दर्शाया गया हे।
ग) अनिवासी भारतीय/विदेशी कंपनी निकाय का विदेश से अथवा अनिवासी विदेशी /विदेशी मुद्रा अनिवासी/अनिवासी बाहय/ अनिवासी विशेष रुपया खाता, जैसी भी मामला हो , से निधियों की प्राप्ति के साक्ष्य के रुप में मूल विदेशी आवक प्रेषण प्रमाण-पत्र (एफआइआरसी)/ बैंक प्रमाण पत्र
घ) जारीकर्ता कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम
च) विदेशी कंपनी निकायों द्वारा निवेश के मामले में फार्म ओएसी/ओएसी 1 फार्म में प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि यह विदेशी कंपनी निकाय इस अधिसूचना के स्पष्टीकरण के तात्पर्य के भीतर है।
छ) ऐसा शपथ पत्र कि जारीकर्ता कंपनी उक्त खण्ड 2(v) में विनिर्दिष्ट वर्जित गतिविधियों के किसी में भी लिप्त नहीं है और लिप्त नहीं रहेगी।
ज) अपरिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा मांगी गयी कोई अन्य जानकारी ऐसे समय के भीतर यथा निर्धारित रहेगी।

स्पष्टीकरण :-

1. कोई भी व्यक्ति (पाकिस्तान या बांगलादेश अथवा श्रीलंका को छोडकर) भारतीय मूल का समझा जायेगा।
   i) यदि वह किसी भी समय भारतीय पासपोर्ट धारक रहा है, अथवा

ii) वह अथवा उसके माता पिता में से कोई एक अथवा उसके दादा दादी में से कोई एक भी भारतीय संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम 1955 (1955 का 57) के तहत भारतीय नागरिक,

iii) वह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति का पति-पत्नी है (पाकिस्तान अथवा बांगला देश अथवा श्रीलंका के नागरिक को छोडकर)

II) "विदेशी कंपनी निकाय" का अर्थ है कि प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के अनिवासियों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत सीमा तक अधिस्वामित्ववाली कोई भी विदेशी कंपनी साझेदार फर्म, सोसाइटी और अन्य कंपनी निकाय और इसमें कोई विदेशी न्यास की शामिल है जिसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किंतु अटल रुप में कम से कम 60 प्रतिशत हिताधिकारी अनिवासी भारतीय हो।

III) "हस्तांतरणीय" विकास अधिकार (टीडीआरएस) वह प्रमाणपत्र है जो मौद्रिक द्वारा बिना किसी मौद्रिक क्षतिपूर्ति भूमि के अभ्यपर्ण के प्रतिफल में या तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा लोक प्रयोजनार्थ अधिग्रहित भूमि की श्रेणी के संबंध में जारी किया जाता है जो हस्तांतरण अंशतः या पूर्ण रुप में है।

[सं. 10/4/2000-एन आर आई]

खिज़र अहमद, कार्यपालक निदेशक

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st November, 1999

No. FERA 213/99-RB

Investment in Non-Convertible Debentures (NCDs)

G.S.R. 54(E).—In pursuance of clause (a) and clause (d) of sub-section (1) of Section 19 read with clause (b) of sub-section (1) of Section 29 of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973), the Reserve Bank is pleased to permit a company incorporated in India to issue, by way of public issue, Non-Convertible Debentures (NCDs) to non-residents of Indian nationality or origin (NRIs) or Overseas Corporate Bodies (OCBs), on repatriation basis as well as on non-repatriation basis, and to send such NCDs out of India to their place of residence or location, as the case may be.

2. The General permission granted herein to issue NCDs is subject to the following conditions:-

i) The payment for the NCDs issued to NRIs/OCBs **on repatriation basis** should be received by remittance from abroad through normal banking channels or by transfer of funds held in the investor's NRE/FCNR accounts maintained with an authorised dealer in India. Further, the percentage of such NCDs issued to NRIs/OCBs to the total paid-up value of each series of NCDs issued should not exceeed the ceiling applicable

for issue of equity shares/convertible debentures as prescribed by the Reserve Bank from time to time, under the respective schemes viz. 24%/ 51%/100% etc. for investment by NRIs/OCBs **on repatriation basis** in the capital of the issuer company.

ii) The payment for the NCDs issued to NRIs/OCBs **on non-repatriation basis** should be received by remittance from abroad through normal banking channels or by transfer of funds held in the investor's NRE/FCNR/NRO/NRSR accounts maintained with an authorised dealer in India.In such cases the amount of capital invested will not be allowed to be repatriated outside India. If the investment in NCDs is made out of funds held in NRSR accounts, the interest on such NCDs will **also not** be repatriable outside India.

iii) The rate of interest on such NCDs shall not exceed SBI prime lending rate plus 300 basis points as on the date of resolution in the company's General Body Meeting approving the issue.

iv) The minimum period for redemption of such NCDs should be three years.

v) The company raising funds through NCDs should not carry on agricultural/plantation/real estate business/Trading in Transferable Development Rights (TDRs) or should not act as Nidhi/ Chit Fund company.

vi) The issuer company files with the Regional Office of Reserve Bank, not later than 30 days from the date of receipt of remittance, a report containing the following:-

(a) Name of the non-resident investor;

(b) Country of residence or incorporation of the non-resident investor;

(c) Date of receipt of remittance and its rupee equivalent;

(d) Name and address of the authorised dealer in India through whom the remittance is received.

vii) The issuer company files with Regional Office of Reserve Bank, not later than thirty days from the date of issue of NCDs, the following:

(a) A list containing names of NRIs/OCBs and the number and face value of NCDs issued to each of them on repatriation /non-repatriation basis.

(b) Certified true copy of resolution passed in the meeting of the Board of Directors of the company, indicating the quantum and value of NCDs issued to NRIs/OCBs and residents and other details of the issue such as coupon rate and redemption date.

(c) Original Foreign Inward Remittance Certificate(FIRC)/Bank Certificate evidencing receipt of funds, from abroad or from the NRE/FCNR/NRO/NRSR account, as the case may be , of the NRI/OCB.

(d) Memorandum and Articles of Association of the issuer company.

(e) In the case of investment by OCBs, a certificate in Form OAC/OAC1 showing that it is an OCB within the meaning of Explanation II of this Notification.

(f) An undertaking that the issuer company is not and shall not be engaged in any of the prohibited activities specified in clause 2(v) above.

(g) Any other information sought by the Reserve Bank with reference to the issue of NCDs within such time as may be stipulated.

Explanation:-

I. A person (not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka) shall be deemed to be of "Indian Origin", if:-

i) he, at any time, held Indian passport;

or

ii) he or either of his parents or any of his grandparents was a citizen of India by virtue of the Constitution of India or the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955)

or

iii) that person is the spouse of an Indian citizen or of a person of Indian origin(not being a citizen of Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka)

II. "Overseas Corporate Body" means any overseas company, partnership firm, society and other corporate body predominantly owned directly or indirectly to the extent of atleast sixty percent by NRIs and includes overseas trust in which not less than sixty percent beneficial interest is irrevocably held by NRIs, either directly or indirectly.

III. " Transferable Development Rights" (TDRs) are certificates issued in respect of category of land acquired for public purpose either by Central or State Government in consideration of surrender of land by the owner without monetary compensation, which are transferable in part or whole."

[No 10/4/2000-NRI]

KHIZAR AHMED, Executive Director

Printed by the Manager, Govt of India Press Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054